



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092021-229369
CG-DL-E-02092021-229369

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3293]
No. 3293]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021

का.आ. 3596(अ).— केन्द्रीय सरकार, चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के नियम 18 के उप-नियम (1) के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3400(अ), तारीख 11 जुलाई, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक (15) और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“15.	श्री अमर ज्योति छमुआह	क्षेत्रीय औषधि परीक्षण	डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक सिरिंज, डिस्पोजेबल
16.	श्री दिलिप कुमार सरकार	प्रयोगशाला, गुवाहाटी, असम	हाइपोडर्मिक सुई, डिस्पोजेबल परफ्यूजन सेट और इंटरवेनस कैनुलास ”
17.	श्रीमती रिंकु कलिता		
18.	श्री अरुण कुमार दास		

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा.सं.एक्स.11014 /13/2020-डीआर]

डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 3400(अ), तारीख 11 जुलाई, 2018 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

ORDER

New Delhi, the 2nd September, 2021

S.O. 3596(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with sub-rule (1) of rule 18 of the Medical Devices Rules, 2017, the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number S.O. 3400(E), dated 11th July, 2018, published in Part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 11th July, 2018, namely:—

In the said notification, in the TABLE, for serial number 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“15.	Shri Amar Jyoti Chamuah	Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati, Assam	Disposable Hypodermic Syringes, Disposable Hypodermic Needle, Disposable Perfusion Sets and Intravenous Cannulae”.
16.	Shri Dilip Kr. Sarkar		
17.	Smt. Rinku Kalita		
18.	Shri Arun Kumar Das		

2. This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. X.11014/13/2020-DR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 3400(E), dated the 11th July, 2018.